

न्यायालय जिला भजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या -15 /2020 (Bank Case)

"एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में स्थित व कार्यरत हैं।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री मुकेश गोचर पुत्र श्री लातुर लाल गोचर (ऋणी)
पता- 9, सांगोद रोड, मोहम्मदपुर, पोस्ट सोरसा तहसील अंताह जिला बांरा (राज०) पिन नं० 325202
2. श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री सत्यनारायण (सहऋणी)
पता- 28, कुम्हारों की बस्ती, कुराडिया कला, कुंदनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान-325601
3. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री लातुर लाल (सहऋणी)
पता- 28, कुम्हारों की बस्ती, कुराडिया कला, कुंदनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान-325601
4. श्री देव किशन पुत्र श्री बद्रि लाल (जमानती)
पता- 54, गुर्जरों की बस्ती, कुराडिया कला, कुंदनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान-325601
5. श्री हरिओम वैश्वपुत्र श्री राम प्रसाद (जमानती)
पता- 28, अत्रालीया, रोलाना, तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान-325601

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपरिस्थित-श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 19.02.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि "एस.आर.जी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर में स्थित व कार्यरत हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.12.2017 को रुपये 4,00,000/- (अक्षरों: रुपये चार लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री सत्यनारायण जाति गुर्जर की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 34404 दिनांक 11.05.2017, खसरा संख्या 158, संकल्प संख्या 1(9) दिनांक 05.05.2017, ग्राम कुराडिया कला, पंचायत समिती सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान पर स्थित हैं जिससे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 596 वर्ग फीट हैं तथा चतुर्थ सीमाएँ पूर्व में श्री कालु लाल मेघवाल का प्लॉट, पश्चिम में रोड, उत्तर में श्री देवकिशन गुर्जर का प्लॉट, दक्षिण में रोड है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी

Om


बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 20.08.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में रुपये 4,78,829.48/- (अक्षरे रुपये चार लाख अठहत्तर हजार आठ सौ उनतीस तथा अड़तालीस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 12.03.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्रीमती संतोष बाई पत्नी श्री सत्यनारायण जाति गुर्जर की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 34404 दिनांक 11.05.2017, खसरा संख्या 158, संकल्प संख्या 1(9) दिनांक 05.05.2017, ग्राम कुराडिया कला, पंचायत समिती सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान पर स्थित हैं जिससे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 596 वर्ग फीट हैं तथा चतुर्थ सीमाएं पूर्व में श्री कालु लाल मेघवाल का प्लॉट, पश्चिम में रोड, उत्तर में श्री देवकिशन गुर्जर का प्लॉट, दक्षिण में रोड हैं, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा